

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 439]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2020 — आश्विन 6, शक 1942

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इंद्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक -20/चार/मतपत्र मुद्रण/वि. स. उप निर्वा./2019-20/2164. — भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 52/2020/एस. डी. आर./खंड-I, दिनांक 17 सितम्बर, 2020 आगामी साधारण निर्वाचन एवं उप निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले व्यक्तियों के वर्ग संबंधी सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 2020

अधिसूचना

सं. 52/2020/एसडीआर/खंड I. — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (सी) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 के संदिग्ध या उससे प्रभावित व्यक्ति जो डाक मतपत्र से मतदान करने का अनुरोध करते हैं, आगामी आदेशों तक निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-III के उपबंधों, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 3786 (अ.), दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 के जरिए यथा-संशोधित, और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने वाले बिहार विधान सभा के आगामी साधारण निर्वाचनों और कई राज्यों के उप-निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले व्यक्तियों के वर्ग होंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 17th September, 2020

NOTIFICATION

No. 52/2020/SDR/Vol.I. — In pursuance of the provisions of clause (c) of Section-60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the Covid-19 suspect or affected persons, certified by competent authority, who request for voting by postal ballot paper, would be a class of persons to give vote by postal ballot in the forthcoming general election to the Legislative assembly of Bihar and bye-elections in several states, to be notified under Section 30 of Representation of the People, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 3786 (E), dated 22nd October, 2019, and the directions and guidelines issued by the Election Commission.

By order,

Sd/-

(Narendra N. Butolia)
 Senior Principal Secretary.